

**-: आदेश :-**

उत्तराखण्ड ज्ञासन, औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 469/VII-A-1/2023/2023/09(5)/2023 दिनांक 22 मार्च, 2023 के माध्यम से मा.उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित जनहित याचिका संख्या 17/2023 रमेश लाल@ रमेश कमोज बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा.उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.03.2023 के अनुपालन में राज्य के प्रत्येक जनपद में अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु जिला अवैध खनन निरोधक दल (District Anti Illegal Mining Force) का गठन किया गया है।

उक्त के अनुपालन में जनपद नैनीताल हेतु जिला अवैध खनन निरोधक दल (District Anti Illegal Mining Force) निम्नानुसार निम्नानुसार गठित किया जाता है :-

1-	जिलाधिकारी, नैनीताल	-	अध्यक्ष।
2-	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, नैनीताल	-	सदस्य।
3-	प्रभागीय वनाधिकारी (सम्बन्धित क्षेत्र)	-	सदस्य।
4-	जिला खान अधिकारी, नैनीताल	-	सदस्य।
5-	सम्भागीय परिवहन अधिकारी, हल्द्वानी	-	सदस्य।
6-	श्री मयंक तिवारी, निवासी बैलपड़ाव, तहसील कालाहूँगी, जिला नैनीताल / सदस्य, वाईल्ड लाईफ वॉर्ड, उत्तराखण्ड	-	सदस्य।

इसके अतिरिक्त उक्त के अनुपालन में परगना स्तर पर अवैध खनन की रोकथाम हेतु परगना स्तरीय अवैध खनन निरोधक दल निम्नानुसार गठित किया जाता है :-

1-	सम्बन्धित उप जिलाधिकारी	-	अध्यक्ष।
2-	सम्बन्धित पुलिस क्षेत्राधिकारी	-	सदस्य।
3-	सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी	-	सदस्य।
4-	खान निरीक्षक, जनपद नैनीताल	-	सदस्य।
5-	सम्बन्धित सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी	-	सदस्य।
6-	सम्बन्धित खनन क्षेत्र के ग्राम प्रधान	-	सदस्य।

उक्त जिला स्तरीय/परगना स्तरीय अवैध खनन निरोधक दल (Anti Illegal Mining Force) अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करेगी।

11  
(धीराज सिंह गर्वाल)  
जिलाधिकारी,  
नैनीताल

### कार्यालय जिलाधिकारी नैनीताल

संख्या : 13 /30-जी.सी./2022-23

दिनांक : 25 मार्च, 2023

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, नैनीताल।
- 2- समस्त प्रभागीय वनाधिकारी, जनपद नैनीताल।
- 3- समस्त उप जिलाधिकारी, जनपद नैनीताल।
- 4- पुलिस क्षेत्राधिकारी, नैनीताल/हल्द्वानी/लालकुआँ/भवाली/रामनगर।
- 5- अपरनिदेशक खनन, भूतत्व एवं खनिकर्मइकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, जनपद नैनीताल।
- 6- सम्भागीय परिवहन अधिकारी, हल्द्वानी/समस्त सहायक परिवहन अधिकारी, जनपद नैनीताल।
- 7- जिला खान अधिकारी/खान निरीक्षक, जनपद नैनीताल।
- 8- उपरोक्त समिति के नामित सदस्यगण।

जिलाधिकारी,  
नैनीताल